रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220041
CG-DL-E-19062020-220041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942
No. 153]	**NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

मामला सं.-ए डी डी-ए सी-03/2020

विषय – (i) कोरिया गण. से निर्यात किये गये "पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन" (पी टी एफ ई) के आयातों द्वारा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन" (पी टी एफ ई) के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क और (ii) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन" उत्पादों (पी टी एफ ई उत्पाद) के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच की शुरूआत।

सं. 07/22/2020 – डी जी टी आर .—1. मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमि. (इसके पश्चात "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और समय समय यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (इसके पश्चात "नियमावली" के रूप में संदर्भित) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी

(इसके पश्चात "प्राधिकारी" के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया है कि रूस और चीन (इसके पश्चात "संबद्ध देशों" के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन" (पी टी एफ ई) (इसके पश्चात "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" अथवा "संबद्ध वस्तु" के रूप में संदर्भित) के आयातों पर लगाये गये इन पाटनरोधी शुल्क के संबंध में (i) कोरिया गणराज्य में उत्पादित और वहां से निर्यातित पी टी एफ ई और (ii) पी टी एफ ई उत्पादों अर्थात रोड, शीट, टेप, ट्यूब, ट्रेड सील टेप (टी एस टी) [इसके पश्चात "पी टी एफ ई उत्पादों" अथवा ('जांच के अधीन उत्पाद-II" अथवा ("पी यू आई-II") के रूप में भी संदर्भित] के आयातों के द्वारा प्रवंचना की जा रही है।

<u>पृष्ठभूमि</u>

(क) रूस से पी टी ई एफ पर पाटनरोधी शुल्क

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित दिनांक 13 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना सं. 21/1/1998 के माध्यम से "पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन" (पी टी एफ ई) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जिसे दिनांक 30 दिसंबर, 1999 की अधिसूचना सं. 141/99 – सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था, की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया।

3. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखने की सिफारिश नीचे दिये गये अनुसार की :

I. केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 110/2004 – सीमा शुल्क के माध्यम से लगाये गये दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 15/6/2003 – डी जी ए डी के माध्यम से प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में।

II. केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 03 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 57/2010 के माध्यम से लगाये गये दिनांक 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 15/30/008 – डी जी ए डी के माध्यम से दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में।

III. दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/2/2015 के माध्यम से तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच जिसे दिनांक 06 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016 – सीमा शुल्क के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और सेस टेक्स के दिनांक 16.09.2016 के आदेश सं. 53592/2016 के अनुसार बाद में दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 22/2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

(ख) चीन से पी टी ई एफ पर पाटनरोधी शुल्क

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन" (पी टी एफ ई) के आयात पर दिनांक 25 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. 14/25/2003 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जिसे दिनांक 17 अक्टूबर, 2005 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 91/2005 – सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किया।

5. प्राधिकारी ने दिनांक 25.07.2005 के प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम के आधार पर दिनांक 17.10.2005 की अधिसूचना सं. 91/2005 – सीमा शुल्क के माध्यम से चीन के पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था। उसके पश्चात उक्त निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्य अवधि की समीक्षा की गई थी और संशोधित पाटनरोधी शुल्क के रूप को दिनांक 05.04.2010 की अधिसूचना सं. 42/2010 के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। इस प्रकार से संशोधित और लगाये गये शुल्कों को दिनांक 24.08.2011 की अधिसूचना सं. 81/2011 के माध्यम से प्रथम निर्णायक समीक्षा के

अनुसरण में जारी रखा गया था। उसके पश्चात दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच की गई थी और तदनुसार इन शुल्कों का विस्तार दिनांक 28.07.2017 की अधिसूचना संख्या 36/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से किया गया था।

विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जैसा कि पूर्व की जांचों में (मूल और समीक्षा) में परिभाषित किया गया है "पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन" ('पी टी एफ ई' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा पी यू सी अथवा संबद्ध वस्तु) है। (रूस और चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क क्रमश: 5 मई, 2021 और 27 जुलाई, 2022 तक लागू है)।

7. पी टी एफ ई का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों जैसे मोल्डिंग, फाइन पाउडर, एक्यूअस डिसपर्सन और कम्पाउंड में किया जाता है। इसका प्राथमिक रूप से उपयोग उनकी विशिष्ट विशेषताओं जो रसायनिक निष्क्रियता, विद्युतीय और तापीय इंसूलेशन, घर्षण, गैर नशीला, गैर ज्वलनशील के कम कोएफिसियेंट, रेडियेशन के प्रति प्रतिरोधता, स्थिर और गतिशील घर्षण का निम्न स्तर और व्यापक बारंबारता श्रेणी की तुलना में उत्कृष्ट विद्युतीय गुण हैं, के कारण इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और रसायनिक उद्योगों में किया जाता है।

जांच के अधीन उत्पाद

8. जांच के अधीन उत्पाद जो कथित रूप से रूस और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में प्रवंचना कर रहा है निम्नलिखित हैं : (i) दक्षिण कोरिया से निर्यात किये गये पोलिटेट्राफल्यूरोएथिलेन (पी टी एफ ई) जिसे सीमा प्रशुल्क अधिनियम के उपशीर्षक सं. 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत "जांच के अधीन उत्पाद-I" अथवा "पी यू आई-I" के रूप में भी संदर्भित है (ii) चीन जन. गण. से निर्यातित पी टी एफ ई उत्पाद जिसे सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत उपशीर्षक सं. 3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925 और 3926 के अंतर्गत वर्गीकृत तथा "जांच के अधीन उत्पाद-II" अथवा "पी यू आई-II" के रूप में भी संदर्भित है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का 99 प्रतिशत से अधिक के साथ भारत में एक प्रमुख उत्पादक है। आवेदक ने यह दावा किया है कि इसका संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद अथवा विचाराधीन उत्पाद अथवा जांच के अधीन उत्पाद-I या जांच के अधीन उत्पाद-II के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है। दूसरी कंपनी अर्थात हिन्दुस्तान फल्यूरोकार्बन लिमि. जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन भी करता है, का उत्पादन उन उत्पादन का 1 प्रतिशत से कम है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यह आवेदन इस नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) के संबंध में 'घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से' किया गया है।

मौजूदा उपाय जिसके संबंध में प्रवंचना की जा रही है :

(क) रूस से आयात

10. रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/2/2015 के माध्यम से की गई थी और उसे तीसरी निर्णायक समीक्षा जांचों के अनुसरण में दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016 – सीमा शुल्क

(दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 22/2017 के माध्यम से संशोधित) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और इसके संबंध में कथित रूप से पी यू आई-I के द्वारा प्रवंचना की जा रही है। रूस से पी यू सी पर मौजूदा शुल्क 5 मई, 2021 तक लागू है।

(ख) चीन जन. गण. से आयातों पर

11. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 15/11/2016 – डी जी ए डी के माध्यम से की गई थी तथा उसे और उसकी दूसरी निर्णायक समीक्षा जांचों के अनुसरण में दिनांक 28 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 36/2017 – सीमा शुल्क के माध्यम से संशोधित) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था जिसके संबंध में कथित रूप से पी यू आई-।। के द्वारा प्रवंचना की जा रही है। चीन जन. गण. से आयात किये गये गये पी टी एफ ई पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क 27 जुलाई, 2022 तक लागू है।

<u>कथित प्रवंचना के लिए आधार</u>

12. प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन निम्नलिखित कारणों से ऊपर में उल्लेख किये गये मौजूदा पाटनरोधी के संबंध में कथित प्रवंचना के बारे में (i) दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016 – सीमा शुल्क के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद (दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 22/2017 द्वारा संशोधित) तथा जांच के अधीन उत्पाद-I तक विस्तारित तथा (ii) ऊपर में उल्लेख किये गये अनुसार कथित प्रवंचना के संबंध में जांच के अधीन उत्पाद-II तक विस्तारित दिनांक 28 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 36/2017 - सीमा शुल्क के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद पर लगाये गये उपर्युक्त मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किये जाने का अनुरोध करते हुए दायर किया गया :

(क) व्यापार के पैटर्न में व्यापक परिवर्तन हुआ है जिसके द्वारा कोरिया गणराज्य से 2018 से पी यू आई-I के 2012 आयातों तथा चीन से पी यू आई-II के आयातों में तब से लागू पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर पर्याप्त रूप से बिना किसी उचित कारण अथवा औचित्य के वृद्धि हुई है।

(ख) कोरिया में ऐसा कोई ज्ञात उत्पादक नहीं है जो पूर्णरूप से उत्पादन क्रियाकलाप करता हो। कोरिया गणराज्य से भेजे गये पी टी एफ ई के निर्यात रूस में बहुत अधिक मात्रा में किये जाते हैं और उसके पश्चात कोरिया में उसे प्रसाधित किया जाता है और फिर उसका निर्यात भारत में किया जाता है और इसके संबंध में यह दावा किया जाता है कि ये वस्तु कोरिया के मूल की हैं। कोरिया में वेयरहाउस होने का भी साक्ष्य है, जो स्पष्ट रूप से रूस के उत्पादक के संबंधित एक कंपनी के स्वामित्व में है।

(ग) कोरिया से पी टी एफ ई का आयात पाटित कीमतों पर हो रहा है और इसके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इसके परिणामस्वरूप मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को नुकसान पहुंचाकर घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल रहा है।

(घ) पी यू सी से पी यू आई-II के उत्पादन में 35 प्रतिशत से कम का मूल्यवर्धन होता है।

(ङ) चीन जन. गण. से पी यू आई-II के आयातों का पाटन हो रहा है और इसके कारण चीन से पी यू सी पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को नुकसान पहुंच रहा है और इस प्रकार से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ रहा है।

13. आवेदन ने प्रवंचना संबंधी उत्पादों अर्थात पी यू आई-I और पी यू आई-II पर जांच की शुरूआत की तिथि से पाटनरोधी शुल्क को पश्चगामी प्रभावी से लगाने का अनुरोध किया है।

14. प्राधिकारी आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह नोट करते हैं कि (i) व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है जिसमें कोरिया से पी टी एफ ई के आयातों में बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य तथा ज्ञात पूर्ण उत्पादन क्रियाकलाप के 2018 से बहुत अधिक स्तर तक

वृद्धि हुई है जिसके द्वारा रूस से विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को नुकसान हो रहा है।

(ii) व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है जहां पी टी एफ ई से उत्पादित उत्पादों के आयातों में बहुत अधिक मूल्यवर्धन न करते हुए इन उत्पादों के परिवर्तन के द्वारा 2012 से चीन जन. गण. में वृद्धि हुई है और उसके कारण पी टी एफ ई पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को नुकसान पहुंच रहा है।

<u>जांच की शुरूआत</u>

15. आवेदन द्वारा दक्षिण कोरिया और चीन जन. गण. से आयातों के संबंध में विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के संबंध में अपने आप को संतुष्ट करने के बाद, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को नुकसान पहुंचाने वाले चीन जन. गण. से पी टी एफ ई उत्पादों के आयातों में निहित मूल्यवर्धन को देखते हुए प्राधिकारी एतदद्वारा (i) दक्षिण कोरिया से आयात किये गये पी यू आई-। तक रूस से आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने (ii) इस नियमावली के नियम 27 (3) के अनुसार इस जांच की शुरूआत की तिथि से चीन जन. गण. से पी यू आई-II के आयातों पर शुल्क का विस्तार करने पर विचार करने के लिए इस अधिनियम की धारा 9(क) (1क) और इस नियमावली के नियम 25 और 26 के अनुसार प्रवंचनारोधी जांच की शुरूआत करते हैं। इस कारण से प्राधिकारी इस समीक्षा के पूरा होने तक पी यू आई-। के संभी आयातों अर्थात दक्षिण कोरिया से पी टी एफ ई और पी यू आई-II अर्थात चीन जन. गण. से पी टी एफ ई उत्पादों पर अनंतिम आकलन करने की सिफारिश करते हैं।

<u>जांच की अवधि</u>

16. **वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि** (पी ओ आई) **अप्रैल 2019- दिसंबर 2019 (9 महीने) है और चोट की अवधि अप्रैल 2016 - मार्च 2017, अप्रैल 2017 - मार्च 2018, अप्रैल 2018 - मार्च 2019 की अवधि को कवर करेगी।** (पी ओ आई) **। प्राधिकरण AD नियमों के उप नियम 22 (3) को नोट करता है और 9 महीने के** (पी ओ आई) **पर विचार करता है, यह ध्यान में रखते हुए कि रूस से विषय वस्तुओं पर** पाटनरोधी शुल्क **जून 2021 तक ही अस्तित्व में है।**

<u>प्रवंचना करने वाले देश</u>

17. प्रवंचना में शामिल देश कोरिया गणराज्य (कोरिया आर पी) और चीन जन. गण. है।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

18. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध से की सरकार, इस उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए पृथक रूप से पत्र लिखा जा रहा है।

19. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप में और तरीके से भी कर सकते हैं।

20. सूचना/ अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाये :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उस अनुरोध का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।

सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा dir13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फामेर्ट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों ।

23. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपर्युक्त में उल्लिखित ई-मेल पते पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं ।

असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 19th June, 2020

INITIATION NOTIFICATION

Case No. ADD-AC - 03/2020

Subject: Initiation of Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of (i) anti-dumping duty imposed on imports of "Polytetrafluoroethylene" (PTFE) originating in or exported from Russia by imports of "Polytetrafluoroethylene" (PTFE) exported from Korea RP and (ii) anti-dumping duty imposed on imports of "Polytetrafluoroethylene" products (PTFE products) originating in or exported from China PR.

F. No. 07/22/2020-DGTR.—1. M/s. Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the " Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), alleging that these anti-dumping duties imposed on imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) (hereinafter also referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in

or exported from Russia and China (hereinafter also referred to as the "subject countries") are being circumvented by way of; (i) imports of PTFE produced and exported from Korea RP [hereinafter also referred to as "Product Under Investigation-I" or ("PUI-I")] and (ii) PTFE products viz. Rod, Sheet, Tape, Tube, Thread seal tape (TST) [hereinafter referred to as 'PTFE Products' or "Product under investigation-II" or ("PUI-II")].

Background

(a) Anti-dumping duty on PTFE from Russia

2. The Designated Authority notified final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Polytetrafluoroethylene (PTFE) vide Notification Number 21/1/1998 dated 13th October, 1999, originating in or exported from Russia which was imposed vide Customs Notification No. 141/99-Customs dated 30th December 1999.

3. The Authority recommended continued imposition of the anti-dumping duty as under:

i. Pursuant to the first sunset review investigation vide Notification No. 15/6/2003-DGAD dated the 7th October, 2004 imposed by the central Government vide Notification No.110/ 2004- Customs dated 18th Nov, 2004.

ii. Pursuant to the second sunset review investigation vide Notification No. 15/30/2008-DGAD dated the 26th February, 2010 imposed by the Central Government vide Notification No.57 /2010-Customs dated 3rd May, 2010.

iii. Pursuant to the third sunset review investigation vide Notification No.15/2/2015-dated 12th April, 2016 which was imposed by the Central Government vide Notification No.23/2016-Customs dated 6th June, 2016 and later amended by Notification No. 22/2017 dated 16th May 2017, in accordance with CESTAT's Order No. 53592/2016 dated 16.09.2016.

(b) Anti-dumping duty on PTFE from China.

4. The Designated Authority notified final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Polytetrafluoroethylene (PTFE) vide Notification Number 14/25/2003 dated 25th July, 2005, originating in or exported from China PR which was imposed vide Customs Notification No. 91/2005-Customs dated 17th October 2005.

5. The Authority had imposed anti-dumping duty on imports Polytetrafluoroethylene from China vide Notification No. 91/2005 -Customs dated 17.10.2005 based on Authority's final finding dated 25/7/2005. Thereafter, a Mid-Term Review of the said definitive anti-dumping duty was conducted and the form of anti-dumping duty modified was implemented vide Notification No. 42/2010 dated 05.04.2010. The duties so revised and imposed were continued pursuant to first sunset review vide Notification No. 81/2011-Customs dated 24.08.2011. Thereafter, 2nd sunset review investigation was conducted and accordingly, the duties was extended vide Notification No. 36/2017-Cus (ADD), dated 28.07.2017.

Products under consideration

6. The products under consideration in the present investigation, as defined in the earlier investigations (original and review) is "Polytetrafluoroethylene (also referred to as 'PTFE' or 'product under consideration' or PUC or Subject goods). (The AD duty on imports of PUC from Russia and China PR is in force till 5th May, 2021 and 27th July 2022 respectively).

7. PTFE is produced in various grades, such as moulding, fine powder, aqueous dispersion and compound. It is primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

Products under Investigation

8. The Products under Investigation which allegedly circumventing the anti-dumping duty in force on imports of subject goods from Russia and China PR are (i) Polytetrafluoroethylene (PTFE) exported from South Korea also referred to as "Product Under Investigation-I" or "PUI-I" classified under subheading no 39046100 of the Customs Tariff Act. (ii) PTFE products exported from China PR also referred to as "Product Under Investigation-II" or "PUI-II" and classified under subheading no. 3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921,3922,3923,3924,3925 and 3926 under the Customs Tariff Act. However, Customs classifications are indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations.

Domestic Industry

9. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. The Applicant is a major producer in India accounting for more than 99% of the total production of the subject goods in India. The Applicant has claimed that it is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the PUC or PUI-I or PUI-II in India. The other company, namely, Hindustan Fluorocarbons Ltd., which also produces the subject goods has production less than 1% of the total production. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.

Existing Measures being Circumvented:

(a) Imports from Russia.

10. The existing anti-dumping measure on imports of subject goods from Russia was recommended by the Designated Authority vide Notification No.15/2/2015-dated 12th April, 2016 and imposed by the Central Government vide Notification No.23/2016-Customs dated 6th June, 2016 (amended vide Notification No. 22/2017 dated 16th May 2017), pursuant to the third sunset review investigation, is allegedly being circumvented by PUI-I. The existing measure on PUC from Russia is in force till 5th May 2021.

(b) On imports from China PR.

11. The existing anti-dumping measure was recommended by the Designated Authority vide Notification No.15/11/2016-DGAD dated 23rd June 2017 and imposed by the Central Government vide Notification No.36/2017-Customs dated 28th July, 2017 pursuant to the second sunset review investigation is allegedly being circumvented by the PUI-II. The existing AD measure on PTFE imported from China PR is in force till 27th July 2022.

A. Grounds for Alleged Circumvention:

12. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of the aforesaid existing anti-dumping duty levied on (i) product under consideration vie Notification No. 23/2016-Customs dated 6th June, 2016 (Amended by Notification No. 22/2017 dated 16th May 2017) extended to the Product under investigation-I alleged to be circumventing the above stated existing anti-dumping duty and (ii) product under consideration vide Notification No. 36/2017-Customs dated 28th July 2017 extended to the Product under Investigation-II alleged to be circumventing the above stated existing anti-dumping on account of the following reasons:

a) There is significant change in the pattern of trade whereby 2012 imports of PUI-I from Korea RP since 2018 and import of PUI-II from China since have increased significantly without any due cause or justification other than the AD duty in force.

b) There is no known producer in Korea undertaking full-fledged production activities. The exports of PTFE consigned from Korea RP are substantially produced in Russia and thereafter processed in Korea and then exported to India claimed as goods originating in Korea. There is evidence of existence of a warehouse in Korea, which is apparently owned by an entity related to the Russian producer.

c) The imports of PTFE from Korea are at dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry and consequently adversely impacting the domestic industry by undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure.

d) The production of PUI-II from PUC entails a value addition of less than 35%.

e) The imports of PUI II from China PR are dumped and undermine the remedial effects of exiting AD measure on PUC from China thus adversely impacting the Domestic Industry.

13. The Applicant has requested retrospective imposition of AD duty circumventing products i.e. PUI-I and PUI-II from the date of initiation of investigation.

14. The Authority on the basis on the prima facie evidence provided by the Applicant notes that; (i) there is a change in the pattern of trade wherein imports of PTFE from Korea have increased to a significant level since 2018 without any sufficient cause or economic justification and known full-fledged production activity thereby undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure on PUC from Russia.

(ii) There is a change in the pattern of trade were in the imports (of PTFE products produced from PTFE have increased from China PR since 2012 by conversion to products with not much value addition thereby undermining the existing AD on PTFE.

Initiation

15. On the basis of the duly substantiated application by the Applicant regarding imports from South Korea and China PR and having satisfied itself on the change in pattern of trade, value addition involved in imports of PTFE products from China PR undermining of the remedial effect of the existing AD measure, the Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rules 25 & 26 of the Rules to consider; (i) Extension of existing anti-dumping duty on Imports from Russia to the PUI-I imported from South Korea. (ii) Extension of the measure on imports PUI-II from China PR from the date of initiation of this investigation in accordance with the Rule 27 (3) of the Rules. The Authority therefore recommends provisional assessment on all imports of the PUI-I i.e. PTFE from South Korea and PUI-II i.e. PTFE products from China PR till the completion of this review.

Period of Investigation:

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2019- December 2019 (9 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI. The Authority notes the sub rule 22 (3) of AD rules and considers the POI of 9 months keeping in view that the AD duty on subject goods from Russia is in existence only till June 2021.

Circumventing Countries

17. The countries involved in the circumvention are Republic of Korea (Korea RP) and China PR.

Submission of Information

18. The exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

20. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority

Directorate General of Trade Remedies

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

4th Floor, Jeevan Tara Building,

5 Parliament Street New Delhi – 110001

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Submission of Information

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in and dir13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

23. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned above.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation

of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidentialversion of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

36. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.19 22:02:07 +05'30'